न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–।, हिलसा (नालन्दा)

अग्रिम जमानत आवेदन सं–390/2026

मनोरमा देवी बनाम बिहार राज्य

22.05.2026 आवेदिका/अभियुक्त **मनोरमा देवी जौजे अरूण प्रसाद,** जो एकंगरसराय थाना काण्ड सं–39/2026 (अन्तर्गत धारा–80(2), 3(5) बी0एन0एस0) में अभियुक्त है व जिन्हें इस वाद में गिरफ्तारी की आशंका है, की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री समरेन्द्रनाथ विश्वास द्वारा प्रचालित किया गया। इस जमानत आवेदन पर सुनवाई हेतु मांगी गई मूल अभिलेख एवं वाद दैनिकी प्राप्त है।

2. आवेदिका/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन पर सुनवाई के क्रम में निवेदन किया गया है कि आवेदिका की ओर से पूर्व में सत्र न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। आवेदिका का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि आवेदिका निर्दोष है, जिन्हें ग्रामीण राजनीति के तहत गलत अभियोग के आधार पर इस वाद में झूठा फंसाया गया है। आवेदिका को सिर्फ सास होने के कारण फंसाया गया है। घटना के समय आवेदिका एकंगरसराय बाजार में कपड़ा खरीद रही थी, जो दूकान में लगे सी0सी0टी0वी0 के फुटेज से पता चलेगा। मृतका स्वयं फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है तथा उसके छोटे–छोटे बच्चे का पालन पोषण आवेदिका द्वारा ही किया जा रहा है। आवेदिका महिला है तथा इनका रहना–सहना अलग होता है और पूर्व में किसी प्रकार के प्रताड़ना का कोई आरोप नहीं है। इन तर्को के आलोक में आवेदिका/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

3. विद्वान प्रभारी अपर लोक अभियोजक एवं सूचक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

4. उभय पक्षों को सुनने के पश्चात् अभिलेख आज आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इस वाद में धारा–80(2), 3(5) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। आवेदिका अभियुक्त प्राथमिकी के नामित अभियुक्त है एवं इनके विरूद्ध प्रत्यक्ष आरोप है कि दिनांक 22.02.2026 को आवेदिका अभियुक्त अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक मुरारी प्रसाद उर्फ मुरारी गोप की बेटी शवनम कुमारी की हत्या कर दिये थे। यह आरोप काफी गंभीर है एवं वाद दैनिकी में आवेदिका अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य है एवं यह वाद अभी अनुसंधान के क्रम में है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं मामले की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए आवेदिका/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार प्रस्तुत जमानत आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है।

(लेखापित)

Alok Pandey

(आलोक कुमार पाण्डेय–1)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–।, हिलसा